मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

लेखक
डॉ. लता आर्या

नमूना • SAMPLE

अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस
दिल्ली (भारत)

द्वारा प्रकाशित



अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस

Publisher, Distributor, Exporter having an Online Bookstore

एल–9ए, प्रथम तल, गली न0 42,
सादतपुर एक्सटेंसन, दिल्ली–110094 (भारत)
Phone : 9968628081, 9555149955, 9013387535
E-mail : akhandpublishinghouse@gmail.com
akhandpublishing@yahoo.com
Website : www.akhandbooks.com

मुस्लिम महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति

संस्करण : 2020
© लेखक
ISBN: 978-81-946006-6-4

सर्वाधिकार सुरक्षित। इस प्रकाशन के किसी भी हिस्से को प्रकाशक की पूर्व अनुमति के बिना इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य माध्यम द्वारा पुनः प्राप्ति समेत किसी भी रूप में प्रतिलिपिकृत, अनुवादित, संगृहीत नहीं किया जा सकता है और न ही किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम द्वारा इसे प्रसारित किया जा सकता है।

इस पुस्तक में लेखक द्वारा व्यक्त विचार उनके व्यक्तिगत हैं जिसका प्रकाशक से कोई संबंध नहीं है।

भारत में प्रकाशित

झपसू यादव द्वारा 'अखण्ड पब्लिशिंग हाउस' के लिए प्रकाशित। वी.एम. ग्राफिक, दिल्ली द्वारा कवर डिजाइन व शब्द संयोजन तथा आरना इंटरप्राइजेज, दिल्ली से मुद्रित।

SAMPLE COPY

पूज्य पिताजी

स्व. श्री जगत राम जी

को

सादर समर्पित

नमूना • SAMPLE

नमूना • SAMPLE

अनुक्रम

	आमुख	*ix*
1.	शोध विधि	1
2.	उत्तराखण्ड का संक्षिप्त परिचय	6
3.	मुस्लिम महिलाओं की स्थिति	27
4.	महिलाओं के महत्वपूर्ण सिविल अधिकार	38
5.	महिलाओं से सम्बन्धित विकास योजनाएं/कार्यक्रम	48
6.	न्यादर्श क्षेत्रों में मुस्लिम महिलाओं की स्थिति का अध्ययन	93
7.	निष्कर्ष एवं सुझाव	185
	सन्दर्भ ग्रंथ सूची	223

नमूना SAMPLE

नमूना • SAMPLE

आमुख

उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में महिलाओं की स्थिति पहली शताब्दी से परिवर्तन पूर्ण रही है। काल प्रवर्तन के साथ ही महिलाओं की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति दयनीय होती रही है। परन्तु समय परिवर्तन के साथ–साथ आज महिलाओं को कुछ हद तक पुरुषों के बराबरी का अधिकार प्राप्त हो रहा है। पातान्यगली और कात्याना के अनुसार वैदिक समय में महिलाएँ शिक्षित थीं। ईसा पूर्व 500 शताब्दी में महिलाओं की स्थिति बिगड़ने लगी तथा उनके अधिकारों व स्वतन्त्रता पर कुछ हद तक रोक लगा दी गयी। छठी शताब्दी में भारत में बाल–विवाह प्रारम्भ हुआ, जो कि महिलाओं के अधिकारों एवं स्वतन्त्रता पर कड़ा प्रहार था। उस समय विभिन्न कुप्रथाओं–सती प्रथा, पर्दा प्रथा, देवदासी आदि प्रथाओं से महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा।

भारत में 1993 तक 9.2 प्रतिशत परिवारों में महिलाएँ ही मुखिया थीं। परम्परागत भारतीय समाज, उपनिवेशकालीन उत्पाद, विद्या, सामाजिक सुधार आन्दोलनों द्वारा प्रतिस्थापन, परिवर्तन और संक्रमणकालीन सामाजिक निर्माण की प्रक्रिया में महिलाओं का योगदान उल्लखेनीय रहा है। भारत में महिलाओं की शिक्षा का स्तर पुरुषों के

SAMPLE

समकक्ष कम है। प्रतिवर्ष लड़कों के मुकाबले कम लड़कियाँ स्कूल भेजी जाती हैं। सिर्फ केरला और मिजोरम ही अन्तराष्ट्रीय साक्षरता मापदंड पर खरे उतरते हैं। महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति के पीछे उनकी साक्षरता का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। शहरी क्षेत्रों में लड़कियाँ शिक्षा के क्षेत्र में लड़कों से कहीं आगे हैं। परन्तु ग्रामीण एवं अल्पसंख्यक महिलाएँ इस क्षेत्र में इसके विपरीत हैं।

महिला शिक्षा ने उन्हें जहाँ एक ओर समाज के बदलते हुए मूल्यों तथा आर्थिक एवं राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग बनाया, सामाजिक चेतना जाग्रत करने में योगदान दिया है। वहाँ दूसरी ओर वर्तमान में महिलाओं ने लिए नवीन भूमिकाएँ प्रदान की हैं। प्रत्येक क्षेत्र में बढ़ती हुई उनकी महत्वपूर्ण भूमिकाओं के परिणामस्वरूप ही विश्व की अर्थव्यवस्था के मंच पर महिलाओं की स्थिति, प्रभाव व आर्थिक भूमिकाओं में निरन्तर वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुझाव पर 1975 का वर्ष ''अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष'' के रूप में मनाया गया; जिसमें प्रारम्भ में महिलाओं के पिछड़ेपन का दिग्दर्शन, फिर उनके उत्थान की योजना बनाने तथा उनकी चेतना के नये क्षितिजों की खोज पर विचार किया गया है।

सातवें दशक के पूर्व तक यह समझा जाता था कि तृतीय विश्व के देशों में विकास की प्रक्रिया तीव्र नहीं हो सकती, क्योंकि वहाँ की लगभग आधी जनसंख्या (महिलाओं) को विकास प्रक्रिया से दूर रखते हुए उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर दिया गया है। किन्तु सातवें दशक में शिक्षित महिलाओ में नई चेतना का प्रादुर्भव हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस दशक को महिला दशक के रूप में मनाएँ जाने की घोषणा की गई, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं की स्थिति में भले ही नगण्य–सा सुधार हुआ हो, परंतु उससे शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय करने में बहुत मदद मिली, तथा वे अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगीं।

भारत में भी जैसे कि ए.आर. देसाई ने एक आलेख में कहा है– "भारतीय महिलाओं में नई संवेदना व चेतना का विकास हो रहा है जिससे अब उन्हें अधिक समय तक उन पारिवारिक, संस्थागत, राजनैतिक और सांस्कृतिक मापदण्डों की घुटन में नहीं रहना पड़ेगा जिनके कारण उनकी स्थिति सदैव अपमानजनक रही है।

भारतीय समाज की जातीय व्यवस्था में जातिगत स्तरीकरण में प्रत्येक जाति की महिला की भूमिका प्रस्थिति, पारिवारिक विस्थापन में सहभागिता, निर्णय निर्माण में उनकी उपादेयता अलग–अलग हो सकती हैं, परन्तु गृहिणी के रूप में सभी महिलाओं की भूमिका एक समान रही है। सामाजिक या सांस्कृतिक भिन्नताओं के होते हुए भी आर्थिक विकास महिलाओं की जीवनशैली में परिवर्तन करता है। भारत में परिवार की सम्पत्ति पर भी महिलाओं को अधिकार प्रायः नहीं है। हालाँकि सरकार ने महिलाओं के अधिकार एवं स्वतंत्रता के लिए काफी कुछ प्रयास किये हैं। महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के बाद भी अल्पसंख्यक महिलाओं की स्थिति में कोई ज्यादा सुधार नहीं पाया गया है। अल्पसंख्यक महिलाओं में विशेषकर मुस्लिम महिलाओं को आज भी उनके अधिकार प्राप्त नहीं हैं। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा जाता है। आज भी उनमें पर्दा–प्रथा लागू है। भारतीय समाज में मुस्लिम महिलाओं को यद्यपि आम महिलाओं से भिन्न करके नहीं देख सकते हैं। समाज में एक विशिष्ट श्रेणी के रूप में हम मुस्लिम महिलाओं को उनके धार्मिक मूल्यों (शरीयत व्यक्तिगत कानून) परम्पराओं पर्दा एवं तलाक आदि की विशेषताओं के रूप में जान सकते है। इस्लाम में कुरान शरीफ पुरुष और महिलाओं को समानता का दर्जा देता है और वह महिलाओं को धर्म के मार्ग पर बाधक नहीं मानता है। कुरान ने उस समय के हालातों को देखते हुए महिलाओं को उच्च स्थिति प्रदान की, समय–समय पर कुरान की आयतों की विभिन्न व्याख्याओं ने उन्हें निम्न स्थान दे दिया।

समय–समय पर मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में

परिवर्तन होता रहा है, साथ ही सिद्धान्त और व्यवहार तथा आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार पाया गया है। प्राचीन अरबी समाज में मुस्लिम महिलाओं को वैवाहिक, पारिवारिक एवं सम्पत्ति की दृष्टि से अनेक अधिकार प्राप्त थे। सैद्धान्तिक तथा व्यवहारिक दृष्टि से इनकी सामाजिक स्थिति काफी मजबूत थी। भारत में मुसलमानों के आगमन से महिलाओं की स्थिति में अनेक परिवर्तन आये, जिससे महिलाओं के अधिकारों में रोक लगा दी गयी जिस कारण महिलाएँ घर के काम–काजों तक ही सीमित रह गईं मध्य युग में महिलाओं के अपहरण तथा यौन शोषण जैसी घटनाओं ने बाल–विवाह एवं पर्दा प्रथा को बढ़ावा दिया है। डॉ. के.एस. आरफ ने लिखा है, पर्दे का परम्परागत रूप मुस्लिम शासन के समय से प्रारम्भ होता, उच्च वर्ग के मुसलमानों और हिन्दुओं दोनों में ही पर्दे का रिवाज़ था। मुसलमानों में यह प्रथा प्रारम्भ से ही प्रचलित थी।" समय के साथ मुस्लिम महिलाओं की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन आया। मुहम्मद साहब ने महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु अनेक प्रयत्न किये। वे बहुपत्नी विवाह तथा बाल–विवाह के विरोधी थे लेकिन वे महिलाओं को एक सीमित स्वतन्त्रता ही देना चाहते थे। उनके प्रयत्नों के अनुसार महिलाओं को कई धार्मिक एवं सामाजिक अधिकार प्राप्त हुए। मुस्लिम महिलाएँ पुरुषों की आज्ञा से ही सार्वजनिक स्थानों में नमाज पढ़ सकती थीं तथा मस्ज़िद जा सकती थीं। कुरान में मुस्लिम विधवा को पुनर्विवाह तथा महिलाओं को तलाक का अधिकार प्राप्त था। कपाड़िया ने लिखा है, ''इस्लाम में पत्नियों की संख्या घर तक सीमित करके, बालिका हत्या की निन्दा करके, स्त्रियों को उत्तराधिकार का भाग प्राप्त करके तथा विवाह एवं विवाह सम्बन्धी कानून को स्त्रियों के अनुकूल बनाकर स्त्री की स्थिति में सुधार किया है।''

मैं अपनी इस पुस्तक के लिए गुरुवर प्रो. पदम सिंह बिष्ट, अर्थशास्त्र विभाग, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, डी.एस.बी. परिसर, नैनीताल; प्रो. एच.सी. जोशी, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग, एस.एस.जे. परिसर,

अल्मोड़ा; समस्त सहयोगी अर्थशास्त्र विभाग; डॉ. प्रीति आर्या, हिंदी विभाग, एस.एस.जे. परिसर, अलमोड़ा, मेरे परिजनों, मित्रों का विशेष आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने मुझे समय–समय पर सहयोग एवं मार्गदर्शन प्रदान किया।

मैं पुस्तक के प्रकाशक अखण्ड पब्लिशिंग हाऊस के सहयोग के लिए हार्दिक आभारी हूँ।

लेखक

डॉ. लता आर्य

नमूना • SAMPLE